संख्या-118 /2023/2699/तीस-3-23-07बी/2007TC

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 19 अक्टूबर, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में संभागीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी के भवन की मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1668ए/2022-55ए/2023, दिनांक 18-09-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संभागीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी के भवन मरम्मत/अनुरक्षण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के प्रस्ताव पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में राजस्व पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 20.48 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखने की नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि (रू0 लाख रूपये में)
1	2	3	4	5
1.	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी के भवन, खिड़कियां एवं परिसर की दीवार की मरम्मत कार्य।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) वाराणसी-प्रथम।	10.37
		सम्भागीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी के भवन, खिड़कियां, परिसर के अन्दर व बाहर दीवार के रंग-रोगन का कार्य।		10.11
			योग =	20.48 लाख (रू0 बीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) निर्माण कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(4) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(5) उक्त कार्यों के सम्बन्ध में समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-118/2023/2699(1)/30-3-2023, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- संभागीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी।
9- कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) वाराणसी-प्रथम।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।